स0सं0–1/विविध्र–70/2018– 179 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 19/07/2025

विषयः– "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, महुआ (वैशाली) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 539.55 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 500,00,00,000/– (रुपये पाँच सौ करोड़) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से द्वितीय किस्त के रूप में रू0 15,00,00,000/– (रूपये पंद्रह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं0–309(1), दिनाक–07.03.2019 द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" अतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, महुआ (वैशाली) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 539.55 करोड के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 500,00,00,000/– (रुपये पॉच सौ करोड) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से द्वितीय किस्त के रूप में रू0 15,00,00,000/– (रूपये पद्रह करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2–इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0 स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	आवटनादेश स0 एव दिनाक
1	2018–19	1,00,00,000	स0–118(1)ब0, दिनाक–12 03 2019
2	2021–22	62,00,00,000	स0–314(7), दिनाक–09 02 2022
3	2022–23	13,00,00,000	सं0–80(7), दिनाक–23 06 2022
4	2022–23	32,00,00,000	स0–186(7), दिनाक–06 09 2022
5	2022–23	90,00,00,000	स0–553(7), दिनाक–17 03 2023
6	2023–24	19,00,00,000	सं0–565(7), दिनाक–28 02 2024
7	2024–25	1,00,00,000	सं0–48(7), दिनाक–27 05 2024
8	2024–25	15,00,00,000	स0–133(7), दिनाक–16 08 2024
9	2024–25	50,00,00,000	स0–153(7), दिनाक–29 08 2024
10	2024–25	9,45,00,000	स0–393(7), दिनाक–28 01 2025
11	2024–25	15,00,00,000	स0–498(7), दिनाक–10.03 2025
12	2024–25	60,07,00,000	स0–566(7), दिनाक–21 03 2025
13	2025–26	16,50,00,000	स0–93(7), दिनाक–19 06 2025
कुल योग–		**3,84,02,00,000/-**	

3– उक्त कार्य विभागीय राज्यादेश स0–309(1), दिनाक–07 03 2019 के निहित बिन्दुओ को ध्यान मे रखते हुए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना के द्वारा कराया जायेगा।

4– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17 04 98, 2880/वि0(2), दिनाक–06.05 06, 2938/वि0(2), दिनांक–08 04 08, 3758/वि0, दिनाक–31.05 2017 एव 12888/वि0, दिनाक–03 12 2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6– इस राशि के व्यय का वहन माग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–050–भूमि– 0103–नए चिकित्सा महाविद्यालय एव पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड–20–4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0103–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे उपबंधित राशि से किया जायेगा।

7– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-------- मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।

8– बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत सरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda)ज्ञापन तथा व्यय के सुसगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे ।

9– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–1/विविध–70/2018 के पृष्ठ–77/टि0 पर प्राप्त है।

10– प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

11– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

12– यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

29.7.25

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–1/विविध–70/2018– 179 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक-29/07/ 2025

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिलाधिकारी, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–7/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव उक्त सभी को ई–मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

29.7.25

सरकार के अपर सचिव